

No.2017/HQ/Admin/RTI-81




Sh. Ravi Kant Shukla,
117/Q/94, LIC Society,
Shardanagar,
Kanpur,
U.P-208 025

To be emailed to: ravipooja1978@rediffmail.com

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
 Providing information under the RTI Act 2005
 Ref: Original application dt. 06.04.2017 received on 24.05.2017 from Shri Ravi Kant Shukla R/O U.P through DOPT RTI Portal vide registration no.DFCCIL/R/2017/80005

The Information received from the concerned office is as under:

प्राप्त उत्तर/received reply:

S.No.	Information required	DFCCIL serialized answer
1	Item (i)	वर्तमान नियमों टैरीटोरियल और प्रशासनिक न्यायधिकार के परिप्रेक्ष्य में, डीएफसीसीआईएल भारत के नागरिकों के प्रति जबाबदेह है।
2	Item (ii)	मार्च 2012 से दिसंबर 2016 अवधि के दौरान उपलब्ध डाटा और रखरखाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की (सेवा मामलों सहित) 87 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन 87 शिकायतों में से: 1. 4 शिकायतें डीएफसीसीआईएल सतर्कता द्वारा जांच के दौरान पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से झूठी पाई गईं। 2. 70 शिकायतों पर जांच में लगाये गये आरोप झूठे पाए गए। 3. 5 मामलों को शिकायतें माना गया। 4. 4 शिकायतें आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय को भेजी गयी। 5. 1 मामला सीबीआई को भेजा गया। 6. 3 मामले वर्ष 2016 के हैं जिनकी जांच अभी चल रही है।
2	Item (iii)	मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के खंड 8(जे) के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
3	Item (iv)	सी वी सी मेनुअल के पैरा 2.14.1 (पृष्ठ सं.20) के अनुसार दंडात्मक सतर्कता पहलुओं पर चालन, जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तीन माह निर्धारित की गई है।

आपका आवेदन कई अधिकारियों और कार्यालयों को बारी-बारी से भेजा गया था और अपेक्षित सूचना जुटाने में काफी परिश्रम और समय लगा है। उत्तर प्राप्त होने के बाद, हिंदी टंकण एवं प्रूफ-रीडिंग आदि में भी थोड़ा समय लगा है। इसलिए इस सूचना को भेजने में हुए विलंब के लिए खेद है।